

अंतिम डिक्री बमुकदमे इव्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र आर.ए.एस.

सुरेन्द्र कुमार आदि बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट मुकदमा नं. 62/2021
निर्णय दिनांक :- 08.10.2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कर्तई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर व हाजरी वादीगण अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी पेश होकर आदेश दिया जाता है
व डिक्री दी जाती है कि -

वादपत्र वादीगण अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955, 136-राजस्व भू अधिनियम 1956 भली भांति सावित होने से स्वीकार किया जाकर चक
13 एफ एफ की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 76 के खाता संख्या 53/34 में अंकित नाम
शैलेन्द्र के स्थान पर सुरेन्द्र कुमार व सुनयनारानी के स्थान पर सुनैना कम्बोज तथा प्रवीण के
स्थान पर प्रवीण कुमार अंकित किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व
रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 8/10/2021 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व
न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला (क्षेत्रीय नगर)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	02	00	योग	00	00



क्रमांक: राजस्व/ 2021/360

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला (क्षेत्रीय नगर)

दिनांक: 8/10/2021

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीकरणपुर